जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-23.04.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई नगदी व सामान बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 22.04.2025 को वादी श्री दिनेश पुत्र श्री सादोराम निवासी ग्राम गढ़ी हसनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के घर से अभियुक्त द्वारा सामान व नगदी चोरी करने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 23.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी की गई नगदी व सामान सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अभिषेक पुत्र मुकेश धीमान निवासी ग्राम गढी हसनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की गई नगदी (3,000/- रुपये)।

2.चोरी किया गया सामान (एक जोड़ी पायल सफेद धातू, आधार कार्ड)।

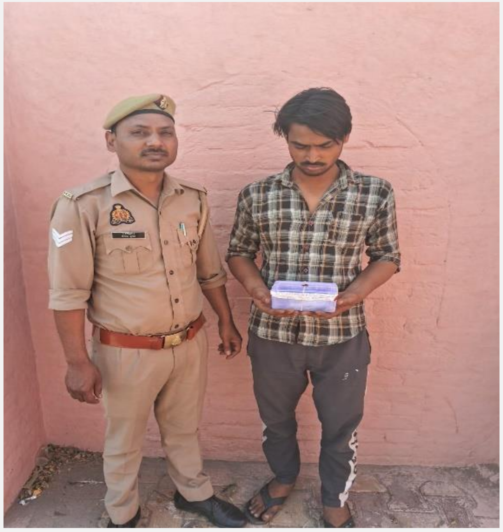

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई नगदी बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 21.04.2025 को वादी श्री अंकुर बंसल पुत्र अनिल कुमार बंसल निवासी मौहल्ला भूमिया वाली गली शांतिनगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के घर से अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर नगदी चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 23.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी की गई नगदी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.वंश पुत्र अरुण निवासी मौहल्ला शांतिनगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की गई नगदी (2,000/- रुपये)।

<u>“आपरेशन क्लीन” अभियान के अन्तर्गत थाना झिंझाना पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम सम्बन्धित मालो का नष्टीकरण हेतु थाना प्रांगण के मालखाने में रखी माल मुकदमाती 86 अभियोगो से सम्बन्धित कुल 1190 लीटर कच्ची शराब व 32 पेटी अग्रेजी शराब व 05 पेटी देशी शराब खाम व शराब बनाने के उपकरणो को नष्ट कराये जाने के संबंध मेः-</u>

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन क्लीन” अभियान के क्रम में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी शामली श्री अरविन्द चौहान व पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के निर्देशन में जनपद शामली के थाना झिंझाना पर मुकदमों से सम्बन्धित मालखाने में रखी माल मुकदमाती शराब को नष्ट कराये जाने हेतु माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा द्वारा आदेश निर्गत किये गए थे। उक्त क्रम में आज दिनांक 23-04-2025 श्री सतीश यादव नायब तहसीलदार ऊन जनपद शामली , श्री श्याम सिंह क्षेत्राधिकारी कैराना जनपद शामली, श्री श्रीचन्द वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी जनपद शामली, श्री मोहम्मद आरिफ जमील जिला आबकारी अधिकारी, सुश्री महिमा चौधरी आबकारी निरीक्षक, श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना जनपद शामली की मौजूदगी मे उक्त मुकदमो (वर्ष 2023 से 2024 तक) से सम्बन्धित मालो की उपस्थिति में 86 अभियोगो से सम्बन्धित कुल 1190 लीटर कच्ची शराब व 32 पेटी अग्रेजी शराब व 05 पेटी देशी शराब व खाम व शराब बनाने के उपकरणो को नष्ट कराया गया तथा मालो की फोटोग्राफी व वीडियो ग्राफी की गयी।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में गैंगस्टर के मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई 03-03 वर्ष के कारावास की सजा एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2017 में अभियुक्तगण 1.आरिफ पुत्र इस्लाम 2.रमन पुत्र सुरेश निवासीगण ग्राम हिरणवाडा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 209/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में आज दिनांक 23.04.2025 को माननीय न्यायालय ADJ/FTC कोर्ट कैराना, शामली द्वारा गैंगस्टर के मामले में अभियुक्तगण आरिफ, रमन उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 03-03 वर्ष का कारावास व 5,000-5,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.आरिफ पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम हिरणवाडा थाना बाबरी जनपद शामली।

2.रमन पुत्र सुरेश निवासी ग्राम हिरणवाडा थाना बाबरी जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI